स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अन्य

बनाम

किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड और अन्य

(आई. ए. संख्याएँ 9-12/ 2016 और 13-16/2016)

(एस. एल. पी. (सी) संख्या 6828-6831/2016)

09 मई, 2017

[आदर्श कुमार गोयल और उदय उमेश ललित, जे. जे.]

न्यायालय की अवमाननाः- ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.) के समक्ष आवेदन-प्रत्यर्थी ऋणदाताओं/गारंटरों के विरुद्ध बैंकों के संघ द्वारा दायर हजारों करोड़ रुपये की वसूली की मांग करते हुए-प्रत्यर्थी संख्या 10 और 11 ने खुलासा किया था कि प्रत्यर्थी संख्या 3 (गारंटर) को उत्तरदाता संख्या 10 द्वारा 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान किया जाएगा और उक्त राशि में से 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान तुरंत बैंकों को किया जाएगा (25.02.2016 को प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त की गई थी।) - बैंकों ने डी. आर. टी. (1) के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 3 के पासपोर्ट को जब्त करने के लिए अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए (2) और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए (3) प्रत्यर्थी संख्या 10 और 11 के खिलाफ 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर, (4) प्रत्यर्थी संख्या 3 को शपथ पर अपनी संपत्ति का खुलासा करने का निर्देश जारी करने के लिए- डी. आर. टी. ने केवल गार्निशी आदेश के संबंध में आवेदन पर विचार किया-बैंकों ने डी. आर. टी. द्वारा आवेदनों पर विचार न करने से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की और डी. आर. टी. को बैंकों द्वारा दायर आवेदनों पर

विचार करने का निर्देश देने की मांग की-उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 03.09.2011 और 13.11.2013 के आदेशों द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 सहित संबंधित उत्तरदाताओं को उनकी संपत्तियों के संबंध में तीसरे पक्ष के अधिकारों को स्थानांतरित करने, अलग करने, निपटाने या बनाने से रोक दिया-उच्च न्यायालय ने हालांकि डी. आर. टी. को निर्देश पारित करने के लिए कहा-विशेष अनुमति याचिका दायर की-उत्तरदाताओं ने निपटान के लिए प्रस्ताव दिया-सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांकित 07.04.2016 के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों का खुलासा करने का निर्देश दिया ताकि वह अपनी वास्तविक संपत्ति दिखा सके-प्रतिवादी संख्या 3 का प्रकटीकरण बयान अदालत द्वारा पर्याप्त नहीं पाया गया-बैंकों द्वारा 2016 की आई. ए. संख्या 9 से 12 में कहा गया है कि प्रकटीकरण विवरण अस्पष्ट था और दिनांक 07.04.2016 के आदेश का उल्लंघन था। बैंकों ने भी अवमानना याचिका दायर की- प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने जवाबी-हलफनामे में कहा कि 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जो उन्होनें अपने तीन पुत्रों को उपहार में दे दी-अभिनिर्धारित किया गया:- प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपनी संपत्तियों का सही और पूर्ण खुलासा नहीं किया है, सर्वोच्च न्यायालय के दिनांकित 07.04.16 के आदेश का उल्लंघन किया है और अपने बच्चों को 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर हस्तांतरित करके दिनांकित 03.09.13 और 13.11.13 के प्रतिबंध आदेशों का उल्लंघन किया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित-इस प्रकार उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय की अवमानना का दोषी-सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में भी अपने अवमानना अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश उसी कारण से संबंधित हैं और प्रतिवादी संख्या 3 की कार्रवाई उस खाते का खुलासा नहीं करने में जिसके माध्यम से हस्तांतरण प्रभावित हुए थे-प्रतिवादी संख्या 3 को पर्याप्त रूप से नोटिस में रखा गया था और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र की ऐसी धारणा के परिणामस्वरूप कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं होगा-उच्चतम न्यायालय की

अवमानना के लिए कार्यवाही को विनियमित करने के लिए नियमों के पंजीकरण 6 (1) के संदर्भ में, प्रतिवादी संख्या 3 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य और कर्तव्यबद्ध है-हालाँकि, अवमानना के लिए प्रस्तावित सजा पर प्रतिवादी संख्या 3 को एक और अवसर दिया जाता है।

मामले को स्थगित करते हुए, न्यायालय ने कहाः-

1. प्रत्यर्थी सं. 3 के खिलाफ अवमानना करने के आरोप दो मामलों में हैं- क) वह इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवज्ञा करने का दोषी है, जिसमें संपत्ति के पूर्ण विवरण का खुलासा नहीं किया गया है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था- ख) वह उसी कारण से उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिबंध के स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन करने का दोषी है, जिससे वर्तमान कार्यवाहियां उत्पन्न हुई हैं। [पैरा 28] [508-डी-एल 2]

2. इस अदालत द्वारा पारित आदेश स्पष्ट और स्पष्ट थे और प्रतिवादी संख्या 3 को अपनी संपत्ति का पूरा खुलासा करने के लिए कहा गया था। इस तरह से प्रकट की जाने वाली परिसंपत्तियां प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी द्वारा कवर की गई थीं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें पूरा खुलासा करने के लिए कहा गया था और वे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य थे। याचिकाकर्ताओं-बैंकों द्वारा किया गया दावा कि एडमंड डी रॉथ्सचाइल्ड बैंक में रखे गए बैंक खाते के विवरण का उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा कभी खुलासा नहीं किया गया था, सही है। वास्तव में, प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा विदेशी बैंकों में किसी भी बैंक खाते का कोई विवरण नहीं दिया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा उल्लंघन को केवल उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। गैर-प्रकटीकरण के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा उल्लंघन अधिक स्पष्ट हो जाता है क्योंकि यह एडमंड डी रॉथ्सचाइल्ड बैंक में आयोजित खाता वही है जिसका

उपयोग 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के धन को प्रेषित करने के लिए किया गया था। [पैरा 21) (505-डी-एफ)

3. उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 सहित संबंधित उत्तरदाताओं को रोकने के लिए दिनांक 03.09.2013 और 13.11.2013 के आदेश पारित किए गए थे और यह आदेश ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.) के समक्ष मूल आवेदन से उत्पन्न कार्यवाही में पारित किए गए थे। इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान कार्यवाही भी उसी मूल आवेदन से उत्पन्न हुई है। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिबंधों के आदेश उन्हीं कार्यवाहियों में थे जिनके साथ यह न्यायालय वर्तमान में संबंधित है। उक्त आदेशों ने प्रत्यर्थी संख्या 3 सहित संबंधित प्रत्यर्थियों को बाध्य किया और उन्हें कार्यवाही में अगले आदेश तक उनकी चल और अचल संपत्तियों के संबंध में तीसरे पक्ष के अधिकारों को स्थानांतरित करने, अलग करने, निपटाने या बनाने से रोक दिया। आदेशों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, क्या संपत्ति उस तारीख को संबंधित प्रत्यर्थियों के हाथों में थी जब उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध के आदेश पारित किए गए थे या उनके हाथों में आई थी या बाद में उनके नियंत्रण में आई थी, ऐसी योग्यता की परवाह किए बिना सभी चल या अचल संपत्तियों को प्रतिबंध के आदेशों द्वारा नियंत्रित किया गया था। किसी भी प्रकार की कोई अस्पष्टता नहीं है और संयम के आदेश काफी स्पष्ट हैं। नतीजतन, अमेरिकी डॉलर 40 मिलियन की राशि जो प्रतिवादी संख्या 3 के नियंत्रण में और उसके हाथों में आई थी, पूरी तरह से प्रतिबंध के उक्त आदेशों द्वारा कवर और नियंत्रित की गई थी। [पैरा22) (505-जी-एच; 506-ए-डी)

4. इसमें कोई संदेह नहीं है कि 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा 25.02.2016 पर प्राप्त किया गया था। इन तथ्यों को प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अपने "आगे के जवाबी हलफनामे" में स्वीकार किया गया है। यह स्पष्टीकरण कि धन अब उन न्यासों के पक्ष में हस्तांतरित किया गया है जिन पर

प्रत्यर्थी संख्या 3 का कोई नियंत्रण नहीं है, वास्तव में उल्लंघन की सीमा को बढ़ाता है। यह स्पष्ट है कि जो धन प्रत्यर्थी संख्या 3 के नियंत्रण में था, उसे अब अदालत की प्रक्रिया की पहुंच से बाहर रखने की मांग की गई है, जो इरादे को दर्शाता है। (पैरा 23) (506-ई-जी)

5. याचिकाकर्ता-बैंकों द्वारा 02.03.2016 पर दायर किए गए आवेदनों में इस तथ्य का स्पष्ट संदर्भ दिया गया था कि जैसा कि प्रतिवादी संख्या 10 और 11 द्वारा लंदन स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को क्रमशः उत्तरदाता संख्या 10 द्वारा प्रकट किया गया था, वह प्रतिवादी संख्या 3 को 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करेगा और तदनुसार याचिकाकर्ता-बैंकों ने प्रतिवादी संख्या 10 और संख्या 11 के खिलाफ आदेश के लिए चार अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए थे। इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा इस प्रकार प्राप्त 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि वर्तमान विवाद का विषय थी। उत्तरदाता संख्या 3 से कम से कम 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्राप्ति और वितरण से संबंधित प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा करने की उम्मीद थी। इस प्रकार उस गिनती का उल्लंघन न केवल इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के खिलाफ है, बल्कि विचाराधीन कार्यवाही में दिनांक 03.09.2013 और 13.11.2013 के पारित आदेशों के स्पष्ट जनादेश के खिलाफ भी है। [पैरा 241 [506-जी-एच; 507-ए-बी]

6. सर्वोच्च न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश में न्याय का रक्षक और संरक्षक है, इसलिए, उसे उन न्यायालयों की रक्षा करने का अधिकार और कर्तव्य भी है जिनके आदेश और निर्णय उनके खिलाफ अवमानना करने से सुधार के लिए उत्तरदायी हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि अधिकारिता इस प्रकार ग्रहण की जाती है और इस न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 3 उच्च न्यायालय के स्तर पर मामले का मूल्यांकन करने का एक अवसर खो देगा। चूँकि यह न्यायालय उसी कारण पर विचार कर रहा है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध के

आदेश पारित किए गए थे और चूंकि यह इस न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा इस मामले पर विचार किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। रिकॉर्ड से पता चलता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिबंध के लिए उन आदेशों के उल्लंघन पर इस न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया था और प्रतिवादी की ओर से पेश वकील ने उचित जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। हालांकि, इस तरह का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 3 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिबंधों के उन आदेशों के उल्लंघन के बारे में स्पष्ट नोटिस दिया गया था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 3 पर कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया है या उस पर विचार नहीं किया गया है। [पैरा 26,27) [507-ई; 508-बी-सी]

7. यद्यपि दूसरी गणना पर अवमानना सैद्धांतिक रूप से उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की है क्योंकि वे आदेश उसी कारण से संबंधित हैं और प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उस खाते का खुलासा नहीं करने में कार्रवाई जिसके माध्यम से हस्तांतरण प्रभावित हुए थे, पहली गणना पर अवमानना के संबंध में भी आती है, यह न्यायालय दूसरी गणना के संबंध में भी अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ता है। प्रत्यर्थी संख्या 3 को पर्याप्त रूप से नोटिस में रखा गया था और इस न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र की ऐसी धारणा के परिणामस्वरूप कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं हुआ है। [पैरा 28) (508-ई-एफ)

8. सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही को विनियमित करने के नियमों के नियम 6 (1) के संदर्भ में, प्रतिवादी संख्या 3 अवमानना याचिका में इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के जवाब में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य और कर्तव्यबद्ध था। इसके बजाय, उन्होंने आवेदन दायर करने का विकल्प चुना (नोटिस जारी करने के आदेश का आह्वान)। उस आदेश को याद करने का कोई कारण

नहीं है और 2016 की अवमानना याचिका सिविल संख्या 421-424 में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिए गए 2016 के आई. ए. संख्या 1 से 4 को खारिज कर दिया जाता है। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 3 वर्तमान अवमानना कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कर्तव्यबद्ध है। [पैरा 29] [508-जी-एच; 509-ए]

9. चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अवमानना याचिका का कोई जवाब दायर नहीं किया है और न ही वह व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ है, हालांकि इस अदालत ने उसे अदालत की अवमानना करने का दोषी पाया है, इसलिए उसे एक और मौका देना और प्रस्तावित सजा पर उसे सुनना भी आवश्यक है। इसलिए मामले को प्रतिवादी संख्या 3 की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसमें अदालत की अवमानना के लिए उसे दी जाने वाली प्रस्तावित सजा भी शामिल है। [पैरा 30) (509-बी-सी)

दिल्ली न्यायिक सेवा संघ, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली बनाम गुजरात राज्य और अन्य (1991) 4 एस. सी. सी. 406: [1991) 3, एस. सी. आर. 936-पर निर्भर था। भारतीय हवाई अड्डा कर्मचारी संघ बनाम रंजन चटर्जी और दूसरा (1999) 2 एस. सी. सी. 537: (1999) 1 एस. सी. आर. 326

प्रकरण विधि संदर्भ

[1999] 1 एस. सी. आर. 326 पैरा 20 संदर्भित किया गया है।

[1991] 3 एस. सी. आर. 936 पैरा 126 पर निर्भर करता है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:- 2016 की एस. एल. पी. (सी) संख्या की आई. ए. संख्या 9-12 और 13-16/2016

2016 की रिट याचिका संख्या 12191-94 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 04.03.2016 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2016 की आई. ए. संख्या 1-4, 2016 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 6828-6831 में और 2016 की याचिका (सी) संख्या 421-424

मुकुल रोहतगी, ए. जी., श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, रॉबिन आर. डेविड, मुनव्वर नसीन, अनिखेत गौड़ा, (मेसर्स दुआ एसोसिएट्स के लिए), याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

सी. एस. विद्यानाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता, जय मुनिम, महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, मुंजाद भट्ट, हिमांशु सतीजा, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री कैथरीन ए., धीरज नायर, विपिन कुमार जय, आदित्य सरीन, नवरूप सिंह, बी., सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, उत्तरदाताओं के अधिवक्ता।

हस्तक्षेपकर्ता व्यक्तिगत रूप से

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने दिया।

1. भारतीय स्टेट बैंक और 13 अन्य बैंकों ने प्रतिवादी संख्या 3,10 और 11 के खिलाफ कोई भी विज्ञापन अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार करते हुए 2016 की रिट याचिका संख्या 12191-12194 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.03.2016 के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाकर्ता बैंकों के अनुसार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 को हजारों करोड़ रुपये के ऋण दिए थे कि मास्टर ऋण पुनर्गठन समझौते दिनांक 21.10.20 और अन्य संबंधित दस्तावेजों द्वारा मौजूदा ऋणों का

पुनर्गठन किया गया और उन्हें एकल सुविधा के रूप में माना गया; और कि प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 ने क्रमशः 21.12.2010 दिनांकित एक कॉर्पोरेट गारंटी और 21.12.2010 दिनांकित एक व्यक्तिगत गारंटी को निष्पादित किया, जो पूरी देय राशि के पुनर्भुगतान की गारंटी देता है। इसके अलावा, चूंकि उपरोक्त खातों को एफ गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता-बैंकों ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण, बेंगलुरु (संक्षेप में "डी. आर. टी. बेंगलुरु") के समक्ष प्रतिवादी के खिलाफ 2013 का ओ. ए. संख्या 766/2013 दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक से Rs.6203,35,03,879.32 (छह हजार दो सौ तीन करोड़ पैंतीस लाख तीन हजार आठ सौ उनत्तर और केवल बत्तीस पैसे) की वसूली की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं-बैंकों का मामला यह है कि आवेदन दायर किए जाने के बावजूद प्रतिवादी को भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, द फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पर अपनी संपत्ति का विवरण प्रकट करने की आवश्यकता है। यह याचिकाकर्ताओं-बैंकों का मामला है कि शपथ पर अपनी संपत्ति के विवरण का खुलासा करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के माध्यम से आवेदन दायर किए जाने के बावजूद, उत्तरदाताओं ने कभी भी संपत्ति का खुलासा नहीं किया और इसके बजाय, कहा कि उत्तरदाताओं ने डी. आर. टी. बेंगलुरु के समक्ष लंबित वसूली कार्यवाही को विफल करने के इरादे से गुप्त रूप से अपनी संपत्ति का निपटान करने की कोशिश की।

2. याचिकाकर्ताओं-बैंकों के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 10 और 11 पर क्रमशः लंदन स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को खुलासा किया कि प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 2 के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया था। प्रत्यर्थी संख्या 10 प्रत्यर्थी संख्या 3 को 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान करेगा; कि

उक्त राशि में से 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का तुरंत भुगतान किया जाएगा; और प्रत्यर्थी संख्या 3 ने उक्त लेनदेन की पुष्टि करते हुए प्रेस को एक बयान दिया था और कहा था कि वह लंदन में बसने का इरादा रखता है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं के बैंकों ने ओ. आर. टी. बेंगलुरु के समक्ष 02.03.2016 पर अंतरिम प्रार्थना की मांग करते हुए चार अंतर्वर्ती आवेदन दायर किएः "(i) प्रतिवादी संख्या 3 के पासपोर्ट को फ्रीज करने के लिए (ii) प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए, (iii) प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ गार्निशी आदेश जारी करने के लिए। 10 और 11 को 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वितरण से, और (iv) प्रत्यर्थी संख्या 3 को शपथ पर अपनी संपत्ति का खुलासा करने का निर्देश जारी करना।

3. यह याचिकाकर्ताओं-बैंकों का मामला है कि ओ. आर. टी. बेंगलुरु ने केवल 02.03.2016 पर गार्निशी आवेदन के संबंध में दलीलें सुनीं और 04.03.2016 पर आदेशों के लिए मामलों को पोस्ट किया, लेकिन अन्य आवेदनों पर विचार करने में विफल रहा। ओ. आर. टी. बेंगलुरु द्वारा अंतर्वर्ती आवेदनों पर इस तरह से विचार न करने से व्यथित होकर, मामले में तात्कालिकता और भारी राशि शामिल होने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं-बैंकों ने 2016 की रिट याचिका संख्या 12191-12194 दायर करके ओ. आर. टी. बेंगलुरु को 02.03.2016 पर याचिकाकर्ताओं-बैंकों द्वारा दायर आवेदनों की सुनवाई और निपटान के लिए उचित निर्देश देने की मांग करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया। चूंकि उच्च न्यायालय ने कोई विज्ञापन अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था, इसलिए इस न्यायालय में उपरोक्त विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई थीं।

4. दिनांक 09.03.2016 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने 30.03.2016 पर वापसी योग्य नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ताओं-बैंकों को भारतीय उच्चायोग, लंदन या किसी अन्य दूतावास के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 3 पर नोटिस देने की भी

अनुमति दी। दिनांक 30.03.2016 के आदेश से पता चलता है कि श्री सी. एस. वैद्यनाथन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 और 3 की ओर से पेश हुए और आदेश ने उनके निवेदन का जवाब दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बकाया के निपटान के लिए भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष (बैंकों के कंसोर्टियम लीडर) को पहले ही एक प्रस्ताव दिया जा चुका है।

मामला 07.04.2016 को आया जब याचिकाकर्ताओं-बैंकों की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा दिया गया प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं था, हालांकि संघ किसी भी समझौते के खिलाफ नहीं था, बशर्ते कि उत्तरदाताओं ने एक सार्थक बातचीत के लिए अपनी ईमानदारी दिखाई हो। इस न्यायालय ने अपने दिनांकित 07.04.2016 आदेश में कहाः "ईमानदारी से इस तरह के कदमों के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि तीसरे प्रतिवादी को शपथ लेने पर, सभी संपत्तियों-चल, अचल, मूर्त, अमूर्त, शेयरधारिता और किसी भी अधिकार, स्वामित्व या हित के विवरण का खुलासा करना चाहिए, जिसमें लाभकारी ब्याज और निजी, न्यासों, सार्वजनिक न्यासों, कंपनियों, साझेदारी, सीमित देयता भागीदारी, और/या भारत और विदेश दोनों में किसी भी अन्य इकाई/इकाइयों आदि में न्यासी क्षमता में रखे गए हैं और इस न्यायालय के समक्ष किसी भी रूप में पर्याप्त जमा राशि होनी चाहिए।

प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सी. एस. वैद्यनाथन और श्री पराग पी. त्रिपाठी ने कहा है कि उन्हें मुख्य याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कम समय दिया जा सकता है।

तदनुसार, उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 21.04.2016 तक का समय दिया जाता है। तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा दायर जवाब में, वह अपनी सभी संपत्तियों-चल, अचल, मूर्त, अमूर्त, शेयरधारिता और किसी भी अधिकार, स्वामित्व या हित के विवरण का खुलासा करेगा, जिसमें लाभकारी हित और निजी न्यासों, सार्वजनिक न्यासों,

कंपनियों, साझेदारी, सीमित देयता भागीदारी, और/या भारत और विदेश दोनों में किसी भी अन्य इकाई/इकाइयों आदि में न्यासी क्षमता में रखे गए अधिकार शामिल हैं। ऊपर बताए गए अधिकारों में और जैसा कि किसी भी रूप में 31.03.2016 को उसकी पत्नी और बच्चों के नाम पर भी है। जवाब में यह भी संकेत दिया जाएगा कि वह इस न्यायालय के समक्ष कितनी राशि जमा करने के लिए तैयार है ताकि एक सार्थक बातचीत के लिए अपनी ईमानदारी दिखाई जा सके। श्री सी. एस. वैद्यनाथन और श्री पराग पी. त्रिपाठी, विद्वान वरिष्ठ वकील, ने प्रस्तुत किया है कि सुनवाई की अगली तारीख को, इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की उनकी संभावित तारीख के बारे में तीसरे प्रतिवादी से विशिष्ट निर्देश प्राप्त किए जाएंगे।

6. इसके बाद मामला 26.04.2016 पर आया, जिस समय तक प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का खुलासा करते हुए जवाबी हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें से अधिकांश संपत्ति रुपये 20,174,146,601 थी, जो आयकर विभाग द्वारा कुर्क की गई थी। देश के बाहर स्थित प्रत्यर्थी संख्या 3 और उनकी पत्नी और बच्चों की संपत्तियों का विवरण एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया गया था। इस न्यायालय ने अपने दिनांकित 26.04.2016 आदेश में कहाः-" यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि व्यक्तिगत गारंटी तीसरे प्रतिवादी द्वारा निष्पादित की जाती है। बैंक विदेश में उसकी संपत्ति को कवर नहीं करते हैं। हमें उपरोक्त प्रस्तुतियों को दर्ज करने में कोई समस्या नहीं है और हम ऐसा करते हैं। हालाँकि, हम पाते हैं कि दिनांकित 07.04.2016 आदेश में, इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 3 को एक हलफनामे में संपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया था। परिसंपत्तियों का खुलासा करने का एकमात्र उद्देश्य याचिकाकर्ताओं के लिए प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा किए गए प्रस्तावों पर एक सार्थक समझौते के लिए एक उचित विचार रखना था। 07.04.2016 दिनांकित आदेश के स्पष्टीकरण या संशोधन के लिए हमारे सामने कोई याचिका नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों में, हम याचिकाकर्ताओं को इन परिसंपत्तियों का खुलासा करने में कोई

स्थायी आपत्ति नहीं पाते हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि पत्नी और बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं और वे इस न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं हैं। कानून के तहत उन्हें जो भी सुरक्षा उपलब्ध है, वे उसका लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। यह प्रकटीकरण केवल याचिकाकर्ताओं को एक सार्थक समझौते के लिए एक उचित विचार रखने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से है। हम इस बात से व्यथित हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने 07 अप्रैल, 2016 के हमारे आदेश का उक्त आदेश की भावना के अनुसार जवाब नहीं दिया है। उन्हें एक सार्थक समझौते पर पहुंचने के लिए 18,000 करोड़ रुपये में से बकाया राशि के लिए पर्याप्त जमा राशि के रूप में धन दिखाकर हमें अपनी ईमानदारी दिखानी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि निपटान के लिए उनके प्रस्ताव में कोई सच्चाई नहीं है। जाहिर तौर पर, उनकी ओर से वकील द्वारा दिए गए बयान केवल समय पाने के लिए एक चाल के रूप में दिए गए थे।

7. रजिस्ट्री को याचिकाकर्ताओं को सीलबंद लिफाफे में दी गई संपत्ति के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जाता है। दिनांक 28.06.2016 को प्रतिवादी संख्या 10 ने डी. आर. टी., बेंगलुरु के समक्ष लंबित 2013 के ओ. ए. संख्या 766 में दो दस्तावेजों के साथ एक ज्ञापन दायर किया जिसमें कहा गया था कि दिनांक 25.02.2016 को प्रतिवादी संख्या 3 को 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान किया गया था। उक्त ज्ञापन का निम्नलिखित प्रभाव थाः -

उपरोक्त आवेदन में प्रतिद्वंद्वी 2 नीचे उल्लिखित दस्तावेजों को जमा करने की गुहार लगाता हैः

ज्ञापन

1. दिनांक 25.02.2016 का प्रतिवादी नं. 3 को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भुगतान की पुष्टि करने वाला उद्धरण ।2.

यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के बोर्ड के पद से प्रतिवादी संख्या 3 का इस्तीफा, जहां विपक्ष संख्या 2 प्रार्थना करता है कि इस ज्ञापन और संलग्नक को न्याय के हित में रिकॉर्ड पर लिया जाए।

8. 14.7.2016 को, याचिकाकर्ताओं-बैंकों द्वारा दायर की गई 2016 की आई. ए. संख्या 9 से 12 तक पर कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ताओं-बैंकों को और दिनांक 26.04.2016 के उपरोक्त आदेश के संदर्भ में दिया गया प्रकटीकरण बयान अस्पष्ट था और इसमें भौतिक विवरणों की कमी थी; कि बयान में उल्लिखित संपत्तियों का स्थान इतना अस्पष्ट था कि किसी भी व्यक्ति के लिए संपत्ति के स्थान की पहचान करना असंभव होगा; और यह कि प्रतिवादी संख्या 3 को निर्विवाद रूप से 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त हुई थी जैसा कि दिनांक 28.0.2016 के ज्ञापन में खुलासा किया गया था, लेकिन प्रकटीकरण बयान में उक्त राशि के बारे में कोई कानाफूसी नहीं थी। यह प्रस्तुत किया गया थाः- "18. इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने जानबूझकर इस माननीय न्यायालय द्वारा 07.04.2016 पर मुकदमा किए गए निर्देशों की अवज्ञा की है। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 3 इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 29.04.2016 आदेश की अवमानना का दोषी है। याचिकाकर्ताओं के पास इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता है। 22. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह उचित और आवश्यक है कि इस आवेदन की अनुमति दी जाए और प्रतिवादी संख्या 3 को अपनी सभी संपत्तियों-चल, अचल, मूर्त, अमूर्त, शेयरधारिता और किसी भी अधिकार, स्वामित्व या हित के सभी विवरणों का खुलासा करने और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें लाभकारी हित और निजी न्यासों, सार्वजनिक न्यासों, कंपनियों, साझेदारी, सीमित देयता भागीदारी, और/या भारत और विदेशों में किसी भी अन्य इकाई/इकाइयों आदि में किसी भी रूप में जो भी 31.03.2016 को है, प्रत्ययी क्षमता में रखे गए

अधिकार शामिल हैं। यदि प्रार्थना के अनुसार इस आवेदन की अनुमति नहीं दी जाती है, तो याचिकाकर्ता और बड़े पैमाने पर जनता को अपूरणीय क्षति और नुकसान होगा।

इन परिस्थितियों में यह प्रार्थना की गई थी कि प्रत्यर्थी संख्या 3 को परिसंपत्तियों का पूर्ण और विस्तृत प्रकटीकरण करने का निर्देश दिया जाए जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित 07.04.2016 आदेश में निर्देश दिया गया है।

9. 14.07.2016 को ही याचिकाकर्ताओं-बैंकों ने 2016 की अवमानना याचिका संख्या 421-424 दायर की जिसमें कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07.04.2016 के आदेश को जानबूझकर और सोच-समझकर उल्लंघन के लिए उचित अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए। याचिका के पैराग्राफ 20 से 24 इस प्रकार थेः -

> "20. अवमानकर्ता द्वारा दिए गए प्रकटीकरण वक्तव्य को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अवमानकर्ता ने इस माननीय न्यायालय के दिनांक 07.04.2016 के निर्देशों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया है। इस माननीय न्यायालय द्वारा समकालीन को दिए गए प्राथमिक निर्देशों में से एक यह था कि उसे अपनी सभी संपत्तियों-चल, अचल, मूर्त, अमूर्त, शेयरधारिता और किसी भी अधिकार, स्वामित्व या हित के बारे में उचित विवरण का खुलासा करना चाहिए, जिसमें लाभकारी हित और निजी न्यासों, सार्वजनिक न्यासों, कंपनियों, साझेदारी, सीमित देयता भागीदारी में और/या भारत और विदेशों आदि में किसी भी अन्य इकाई/इकाइयों को किसी भी रूप में, जैसा कि 31.03.2016 को है, न्यासी क्षमता में रखे गए अधिकार शामिल हैं हालांकि, अवमानकर्ता ने विभिन्न रूपों/संस्थाओं जैसे लाभकारी ब्याज आदि में परिसंपत्तियों के विवरण का खुलासा नहीं किया है और इस

तरह जानबूझकर जानकारी को छुपाया है। वास्तव में, प्रकटीकरण वक्तव्य में उक्त विवरण के बारे में कोई सूचना नहीं है।

21. प्रकटीकरण प्रथम दृष्टया अस्पष्ट है और इसमें किसी भी भौतिक विवरण का अभाव है। प्रकटीकरण विवरण में उल्लिखित परिसंपत्तियों का स्थान इतना अस्पष्ट है कि कथित अवमानकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए परिसंपत्तियों के स्थान की पहचान करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

22. इसके अलावा, यह कहा गया है कि कथित समकालीन ने प्रतिवादी संख्या 3 और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच हुए समझौते के अनुसार प्रतिवादी से 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त की थी।

23. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि शीर्षक विशेष अनुमति याचिका के निपटारे के बाद, प्रतिवादी संख्या 10 ने डी. आर. टी. में दो दस्तावेजों के साथ एक ज्ञापन दायर किया, जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान कथित अवमानकर्ता को 25.02.2016 को किया गया था। उक्त ज्ञापन दिनांकित 28.06.2016 की एक प्रति इसके साथ संलग्न की गई है।

24. उपरोक्त दस्तावेजों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से यह स्थापित होता है कि 26.04.2016 पर जब कथित अवमानकर्ता ने इस माननीय न्यायालय में प्रकटीकरण विवरण दायर किया था, तो कथित अवमानकर्ता को 31.03.2016 से पहले ही 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की उपरोक्त राशि प्राप्त हो चुकी थी। वास्तव में ज्ञापन से स्पष्ट रूप

से पता चलता है कि 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की उक्त राशि सिटी बैंक द्वारा जे. पी. मॉर्गन चेज़ एन. ए. बैंक (मध्यस्थ बैंक) के माध्यम से एडमंड डी रॉथ्सचाइल्ड (सुइस) एस. ए. जिनेवा के साथ कथित समकालीन के खाते में हस्तांतरित की गई थी। हालाँकि, प्रकटीकरण विवरण में उपर्युक्त राशि या लेन-देन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कथित समकालीन ने जानबूझकर, सोच समझकर और आपत्तिजनक रूप से उपरोक्त भुगतान/लेनदेन को छुपाया था जो दिनांकित 07.04.2016 के आदेश के अक्षर और आत्मा के खिलाफ है।"

10. दिनांक 25.07.2016 को इस न्यायालय ने उपरोक्त अवमानना याचिका के साथ-साथ 2016 की आई. ए. संख्या 9 से 12 में नोटिस जारी किया।

11. दिनांकित 24.08.2016 के आई. ए. संख्या 9 से 12 में उत्तरदाता संख्या 4 की ओर से पर जवाबी हलफनामा दायर किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया थाः - "यह गलत है कि प्रकटीकरण में प्रतिवादी संख्या 3 ने अपनी कुछ विदेशी संपत्तियों से संबंधित जानकारी प्रदान की है जैसा कि आरोप लगाया गया है। प्रत्यर्थी सं. 3 दोहराता है कि इस माननीय न्यायालय को किए गए प्रकटीकरण सटीक हैं। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि प्रकटीकरण के उद्देश्य के बारे में 26 अप्रैल, 2016 के आदेश में जो दर्ज है, उसे ध्यान में रखते हुए, अब याचिकाकर्ता-बैंकों के लिए यह तर्क देना संभव नहीं है कि यदि डी. आर. टी. मूल आवेदन की अनुमति देता है, तो याचिकाकर्ता-बैंक कथित या कथित कारणों से प्रकटीकरण में उल्लिखित संपत्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इस संबंध में, यह उल्लेख करना उचित है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने 26 अप्रैल, 2016 को इस माननीय न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया था कि "बैंकों के साथ तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा निष्पादित व्यक्तिगत गारंटी में

विदेश में उसकी संपत्ति शामिल नहीं है।" इस बात से इनकार किया जाता है कि 7 अप्रैल, 2016 के आदेश द्वारा विचार किए गए सभी विवरण और परिसंपत्तियों के सभी विवरण जानबूझकर या अन्यथा प्रदान नहीं किए गए हैं। इस बात से इनकार किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3 को एक बार फिर अपनी संपत्तियों के विवरण और विवरण का खुलासा करने और प्रस्तुत करने का निर्देश देने का कोई कारण या आधार है जैसा कि आरोप लगाया गया है या जिस तरह से आरोप लगाया गया है। इस बात से इनकार किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ताओं-बैंकों के आई. ए. की अनुमति नहीं है, तो याचिकाकर्ताओं या बड़े पैमाने पर जनता को अपूरणीय क्षति या क्षति के लिए रखा जाएगा।

12. 2016 की आई. ए. संख्या 1 से 4 तक होने वाले आवेदन भी प्रतिवादी संख्या 3/कथित अवमानक की ओर से दिनांकित 25.07.2016 आदेश को वापस लेने के लिए दायर किए गए थे। यह प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत किया गया थाः - " यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस माननीय न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 3/कथित अवमानक द्वारा किए गए प्रकटीकरण (ए) अप्रैल, 2016 के आदेश के अनुसार 31.03.2016 को किए गए थे और 31.03.2016 को सटीक थे", और (बी) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 41 (2) के प्रावधानों के तहत किए जाने से दूर, "केवल याचिकाकर्ताओं को एक सार्थक निपटान के लिए एक उचित विचार रखने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से थे" जैसा कि 26 अप्रैल, 2016 के आदेश में देखा गया था। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता गलत आरोप लगा रहे हैं कि प्रकटीकरण गलत हैं, और अब प्रकटीकरण के आधार और उद्देश्य को काफी हद तक बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि वर्तमान अवमानना याचिका के पैराग्राफ 21 और 25 में प्रस्तुतियों के केवल अवलोकन से स्पष्ट है। इस बात से इनकार किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने 7 अप्रैल, 2016 के इस माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया है या कथित या कथित तरीके से संपत्ति के विवरण का खुलासा

नहीं किया है। इस बात से इनकार किया जाता है कि खुलासा अस्पष्ट है या इसमें भौतिक विवरण का अभाव है। इस बात से इनकार किया जाता है कि प्रकटीकरण में परिसंपत्तियों का स्थान स्पष्ट नहीं है जैसा कि आरोप लगाया गया है या जिस तरह से आरोप लगाया गया है। परिसंपत्तियों का विवरण एक विशेष तिथि पर होता है, जाहिर है कि यह प्राप्तियों या खर्चों के दिन-प्रतिदिन के लेन-देन का विवरण नहीं दे सकता है और न ही आदेश में वर्तमान प्रतिवादी को ऐसा करने की आवश्यकता है। इस बात से इनकार किया जाता है कि प्रतिवादी ने 7 अप्रैल, 2016 के आदेश के अक्षर और भाव के खिलाफ जानबूझकर या जानबूझकर या आपत्तिजनक रूप से उपरोक्त भुगतान को छुपाया है।

दिनांक 29.08.2016 के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए यह भी प्रार्थना की गई कि वर्तमान अवमानना याचिका में प्रतिवादी संख्या 3/ कथित अवमानकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त कर दिया जाए।

13. इस समय के आसपास बी. एन. पी. परिबास की ओर से आई. ए. संख्या 13 से 16 दायर की गई थी, जिसमें 2016 के उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका संख्या 6828-6831 में अभियोग लगाने की मांग की गई थी।

14. इस न्यायालय ने 2016 के आई. ए. संख्या 1 से 4 के संबंध में 07.09.2016 पर नोटिस जारी कर दिनांकित 25.07.2016 के आदेश को वापस लेने की मांग की। 2016 के उपर्युक्त आई. ए. संख्या 1 से 4 पर दायर अपने जवाब में, याचिकाकर्ताओं-बैंकों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि कथित अवमानकर्ता ने अवमानना याचिका का कोई जवाब दायर नहीं किया था और न ही वह सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही को विनियमित करने के नियमों के नियम 6 (1) द्वारा आवश्यक अवमानना याचिका के जवाब में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

हुआ था और वापस बुलाने के लिए वर्तमान आवेदन कानून को दरकिनार करने के लिए केवल एक चाल थी। यह प्रस्तुत किया गया थाः -

> "6. उत्तरदाता संख्या 3 और उत्तरदाता संख्या 10 के बीच किए गए दिनांकित 25-02-2016 समझौते के अनुसार कथित अवमानकर्ता को प्रतिवादी नं. 10 से 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त हुई है। हालाँकि, कथित अवमानकर्ता ने उत्तरदाता संख्या 10 से 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रसीद को उत्तर के तहत आवेदन में भी दबा दिया है। प्रतिवादी संख्या 10 से प्राप्त 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ठिकाने का खुलासा न करना कथित अवमानकर्ता को और बदनाम करता है।
>
> 7. कथित अवमानकर्ता ने एडमंड डी रॉथ्सचाइल्ड बैंक, जिनेवा में अपने बैंक खाते के अस्तित्व से इनकार नहीं किया है। हालाँकि, इस बैंक खाते के विवरण का उल्लेख इस माननीय न्यायालय के समक्ष 26.04.16 को दायर उनकी विदेशी संपतियों की सूची में नहीं मिला। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि यह जानबूझकर छिपाने का कार्य है और कथित विचाराधीन है या इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन है।"

15. जब 2016 की आई. ए. संख्या 9-12 की अवमानना याचिका संख्या 421-424/2016 के साथ इस न्यायालय के समक्ष 25.10.2016 पर आया, तो यह प्रथम दृष्टया पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 3 ने उचित खुलासा नहीं किया था। परिसर में, इस न्यायालय ने अवलोकन किया और निर्देश दियाः-"आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान महान्यायवादी और प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी.एस.वैद्यनाथन को सुनने के बाद, हमारा प्रथम दृष्टया यह विचार है कि

प्रतिवादी संख्या 3 ने हमारे दिनांकित 07.04.2016 आदेश के संदर्भ में उचित प्रकटीकरण नहीं किया है। इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपनी सभी संपत्तियों और विशेष रूप से 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्राप्ति के बारे में पूरी तरह से खुलासा करने का निर्देश दिया जाता है। यह खुलासा किया जाएगा कि यह राशि कब प्राप्त हुई थी; इसे कहाँ जमा किया गया था और इसे आज तक कैसे निपटाया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 विदेशों में परिसंपत्तियों का विवरण भी प्रस्तुत करेगा, जैसा कि भारत में परिसंपत्तियों के संबंध में दिया गया है।

16. इसके बाद दिनांक 23.11.2016 को उत्तरदाता नं.3 ने उपरोक्त 2016 का आई. ए. नं. 9-12 में "आगे जवाबी हलफनामा" दायर किया गया। एडमंड डी रॉथ्सचाइल्ड (सुइस) एस. ए. पैराग्राफ 3 द्वारा जारी किया गया हलफनामा निम्नलिखित प्रभाव से थाः "एडमंड डी रॉथ्सचाइल्ड (सुइस) एस. ए. (एनेक्स) द्वारा जारी 81 नवंबर, 2016 के पत्र के केवल अवलोकन पर-"आर-2"), यह स्पष्ट है कि डियाजियो पीएलसी द्वारा भुगतान किया गया यूएस $39,999,994 मिलियन 25 फरवरी, 2016 को प्राप्त हुआ था। उत्तरदाता संख्या 3 के निर्देश पर, निम्नलिखित पक्षों को क्रमशः 26 और 29 फरवरी, 2016 को 39,999 अमेरिकी डॉलर की कुल राशि का भुगतान किया गया था।

पार्टी का नाम	**राशि**
एस. थ्री गिफ्ट सेटलमेंट (एक ट्रस्ट जिसका एकमात्र लाभार्थी उत्तरदाता नंबर 3 का बेटा सिद्धार्थ माल्या है)	13, 000, 000 अमेरिकी डॉलर (26.02.2016 को) और अमेरिकी डॉलर, 333,331.33 (29.02.2016 को)
एल. थ्री गिफ्ट सेटलमेंट (एक ट्रस्ट जिसकी एकमात्र लाभार्थी लीना माल्या) प्रतिवादी संख्या 3 की बेटी है)	13, 000, 000 अमेरिकी डॉलर (26.02.2016 को) और अमेरिकी डॉलर, 333,331.33 (29.02.2016 को)

टी.थ्री गिफ्ट सेटलमेंट (एक ट्रस्ट जिसकी एकमात्र लाभार्थी तान्या माल्या प्रतिवादी संख्या 3 की बेटी है)	13, 000, 000 अमेरिकी डॉलर (26.02.2016 को) और अमेरिकी डॉलर, 333,331.33 (29.02.2016 को)

प्रत्यर्थी संख्या 3 के तीन बच्चों में से प्रत्येक, जो उपरोक्त न्यासों के एकमात्र लाभार्थी हैं, प्रमुख हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं। प्रत्यर्थी संख्या 3 न तो बसायक है और न ही न्यासी और न ही उपरोक्त नाम वाले न्यासों में से किसी का लाभार्थी है, और न्यासों या प्रत्येक या उपरोक्त न्यासों के संबंधित कोष का उपयोग करने के तरीके पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। हालाँकि, संबंधित कोष जो 31 मार्च, 2016 को थे, उन्हें 26 अप्रैल, 2016 को सीलबंद लिफाफे में इस माननीय न्यायालय को सौंपे गए तीन बच्चों की संपत्ति के विवरण में शामिल किया गया है।

17. इसके बाद याचिकाकर्ताओं-बैंकों द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर उपरोक्त "आगे जवाबी हलफनामे" पर प्रतिक्रिया दायर की गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 03.09.2013 और 13.11.2013 पर पारित प्रतिबंध आदेशों पर ध्यान आकर्षित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अपने बच्चों को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हस्तांतरण न केवल उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवमानना में था, बल्कि उन्हें चल रही वसूली कार्यवाही से बचाने के लिए धन का उपयोग करके न्याय के पाठ्यक्रम को नष्ट करने का भी प्रयास था। जवाब के पैराग्राफ 13 से 16 इस प्रकार थेः "13. उपरोक्त के बावजूद, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय डी. आर. टी., बेंगलुरु के समक्ष ओ. ए. 766/2013 दाखिल करने के अनुसरण में, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने माननीय डी. आर. टी. के समक्ष एक मौखिक वचन दिया कि वे अपनी संपत्तियों को अलग नहीं करेंगे या उनका निपटान नहीं करेंगे। इसके बाद, चूंकि माननीय डी. आर. टी. द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के

समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें मंडमस की प्रकृति में एक रिट की मांग की गई, जिसमें ओ. ए. में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अंतर्वर्ती आवेदनों की सुनवाई और निपटान करने के लिए माननीय डी. आर. टी. को निर्देश दिया गया। उपरोक्त रिट याचिका में, कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शर्तों में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खिलाफ 03.09.2013 पर एक प्रतिबंध आदेश पारित कियाः "उस दृष्टिकोण से, इन याचिकाओं में अगले आदेश तक प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के खिलाफ चल और अचल संपत्तियों के संबंध में तीसरे पक्ष के अधिकारों को स्थानांतरित करने, अलग करने, निपटाने या बनाने के लिए निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश होगा।

> "14 ..... उक्त आदेश की पुष्टि उपर्युक्त रिट याचिकाओं में पारित दिनांक 13.11.2013 के आदेश द्वारा की गई थी, जिसके तहत उक्त रिट याचिकाओं का निपटारा किया गया था। कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 03.09.2013 और 13.11.2013 दिनांकित आदेशों की प्रति रिट याचिका संख्या 38870/2013 और रिट याचिका संख्या 3904-39052/2013 में संलग्न की गई है।
>
> 15. इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है और वह न्यायालय की अवमानना का दोषी है। यह कहा गया है कि अपने बच्चों को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर हस्तांतरित करके, प्रतिवादी संख्या 3 ने न केवल माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना में काम किया है, बल्कि माननीय डी. आर. टी. के समक्ष वसूली की कार्यवाही से बचाने के लिए धन को अपतटीय दिशा में मोड़कर न्याय के मार्ग को बाधित करने का भी प्रयास किया है। इसलिए, यह आवश्यक है कि उक्त 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर

को प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा वापस लाया जाए और इस माननीय न्यायालय या माननीय डी. आर. टी. के पास जमा किया जाए, जब तक कि वसूली की कार्यवाही का निपटारा न हो जाए। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह तय कानून है कि इस माननीय न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या 3 को कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराए।

16. यह आगे बताया गया है कि यह बयान भी कि प्रतिवादी संख्या 3 ने उक्त 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर उनके बच्चों के पास हस्तांतरित किए हैं इसकी कोई प्रसंगिकता नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 3 के आगे के जवाबी हलफनामे के अवलोकन पर, 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वितरण के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा प्रदान किया गया स्पष्टीकरण प्रथम दृष्टया उनके बच्चों की ओर से दिए गए बयानों से संबंधित नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 3 यह समझाने में विफल रही है कि इसके विपरीत माननीय डी. आर. टी. के समक्ष 26.07.2014 को दिए गए मौखिक वचन के बावजूद और रिट याचिका संख्या 38870/2013 और रिट याचिका संख्या 39048-39052/2013 में कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 03.09.2013 और 13.11.2013 के आदेशों के माध्यम से निषेधाज्ञा दिए जाने के बावजूद उनके बच्चों को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्यों वितरित किए गए। प्रत्यर्थी-3 को अपनी संपत्तियों को अलग करने से रोकने के उक्त आदेश को अंतिम रूप मिल गया है क्योंकि इसे आज तक प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई थी।"

18. इसके बाद 2016 की आई. ए. संख्या 9-12 के साथ 2016 की अवमानना याचिका संख्या 421-424 इस न्यायालय के समक्ष 11.01.2017 पर आई। याचिकाकर्ताओं-बैंकों द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दायर "आगे जवाबी हलफनामे" के लिए दायर प्रतिक्रिया को देखने के बाद, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित 03.09.2013 और 13.11.2013 के आदेशों का उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः "10.12.2016 को दायर हलफनामे में, याचिकाकर्ताओं ने इस अदालत के ध्यान में लाया है कि प्रतिवादी संख्या 3 के बच्चों के पक्ष में 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हस्तांतरण कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का घोर उल्लंघन है। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि इस न्यायालय या डी. आर. टी. के समक्ष 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की उक्त राशि को जमा करने के लिए उचित आदेश जारी किए जा सकते हैं, आगे की वसूली कार्यवाही के निपटारे तक।

19. प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुतिकरण का जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के उल्लंघन पर ध्यान देने वाले उपरोक्त आदेश के बावजूद और हालांकि जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था, प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जवाब या खंडन में कुछ भी दायर नहीं किया गया था।

20. जब 2016 का उपरोक्त आई. ए. संख्या 9-12, 2016 की अवमानना याचिका संख्या 421-424 के साथ 2016 के आई. ए. संख्या 1-4 आवेदन के साथ सुनवाई के लिए आया, जिसमें दिनांकित 25.07.2016 आदेश को वापस लेने की मांग की गई, तो भारत के लिए विद्वान महान्यायवादी श्री मुकुल रोहतगी और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान याचिकाकर्ता-बैंकों की ओर से पेश हुए, जबकि श्री सी. एस. वैद्यनाथन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पेश

हुए। विद्वान महान्यायवादी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 3 ने कोई ईमानदार खुलासा नहीं किया था और वास्तव में इस न्यायालय के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने का प्रयास किया गया था। अपनी प्रस्तुति में, प्रतिवादी संख्या 3 को सबसे पहले 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर जमा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, जिसे उसने अदालतों के आदेशों का उल्लंघन करते हुए हस्तांतरित किया था, इससे पहले कि मामले में उसकी सुनवाई हो सके। श्री दीवान; विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि 3.9.2013 और 13.11.2013 दिनांकित आदेश स्पष्ट और स्पष्ट थे। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 का उल्लंघन जानबूझकर किया गया था और यह अदालत की अति प्रतिक्रिया और अदालत की पहुंच से बाहर राशि रखने का एक स्पष्ट प्रयास था, दूसरी ओर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वैद्यनाथन ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 को सभी लेनदेन का खुलासा करने के लिए नहीं कहा गया था या उनसे नहीं कहा गया था, बल्कि स्थिति का खुलासा करने के लिए कहा गया था जैसा कि उसने 31.03.2016 को प्राप्त किया था और इस प्रकार प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा किया गया प्रकटीकरण इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कार्यकाल के अनुरूप था। उनके प्रस्तुतिकरण में 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि डियाजियो पाई के साथ गैर-प्रतिस्पर्धा समझौते के अनुसार थी जो कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 03.09.2013 और 13.11.2013 पर पारित आदेशों के बाद प्राप्त हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि उन आदेशों की परिधि में कोई भी धन शामिल नहीं था जो उत्तरदाताओं को भविष्य में प्राप्त होगा और इस तरह उन आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। उन्होंने भारतीय हवाई अड्डा कर्मचारी संघ बनाम रंजन चटर्जी और एक अन्य मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया और कहा कि चूंकि इस मामले में 03.09.2013 और 13.11.2013 के आदेशों की व्याख्या शामिल है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि उल्लंघन, यदि कोई हो, कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का था और इस

तरह इस न्यायालय को इस तरह के कथित उल्लंघन का संज्ञान नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह प्रतिवादी संख्या 3 को मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष रखने के अवसर से वंचित कर देगा।

21. इस अदालत द्वारा पारित आदेश स्पष्ट और साफ़ थे और प्रतिवादी संख्या 3 को अपनी संपत्ति का पूरा खुलासा करने के लिए कहा गया था। इस तरह से प्रकट की जाने वाली परिसंपत्तियां प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी द्वारा कवर की गई थीं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें एक पूर्ण खुलासा करने के लिए कहा गया था और वे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य थे। याचिकाकर्ताओं-बैंकों द्वारा किया गया यह दावा कि एडमंड डी रॉथ्सचाइल्ड रैंक में रखे गए बैंक खाते के विवरण का उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा कभी खुलासा नहीं किया गया था, सही है। वास्तव में, प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा विदेशी बैंकों में किसी भी बैंक खाते का कोई विवरण नहीं दिया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा उल्लंघन को केवल उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। गैर-प्रकटीकरण के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा उल्लंघन अधिक स्पष्ट हो जाता है क्योंकि यह एडमंड डी रॉथ्सचाइल्ड बैंक में आयोजित यही खाता है जिसका उपयोग 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के धन को प्रेषित करने के लिए किया गया था।

22. अब हम कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित 03.09.2013 और 13.11.2013 के आदेशों के कथित उल्लंघन की ओर रुख करते हैं। यह विवादित नहीं है कि इस तरह के आदेश प्रतिवादी संख्या 3 सहित संबंधित उत्तरदाताओं को प्रतिबंधित करते हुए पारित किए गए थे और यह कि आदेश डी. आर. टी. बेंगलुरु के समक्ष 2013 के ओ. ए. संख्या 766 से उत्पन्न कार्यवाही में पारित किए गए थे। इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान कार्यवाही भी 2013 के उसी ओ. ए. सं. 766 से उत्पन्न हुई है। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिबंधों के आदेश उन्हीं कार्यवाहियों में थे जिनसे हम

वर्तमान में संबंधित हैं। उक्त आदेशों ने प्रतिवादी संख्या 3 सहित संबंधित उत्तरदाताओं को बाध्य किया और उन्हें कार्यवाही में अगले आदेश तक उनकी चल और अचल संपत्तियों के संबंध में तीसरे पक्ष के अधिकारों को स्थानांतरित करने, अलग करने, निपटाने या बनाने से रोक दिया। श्री वैद्यनाथन विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या आदेश केवल उन संपत्तियों तक ही प्रतिबंधित होंगे जो उस तारीख तक संबंधित उत्तरदाताओं के हाथों में थीं जब वे प्रतिबंध के आदेश पारित किए गए थे। दूसरे शब्दों में, क्या कोई संपत्ति जो भविष्य में या आदेशों के बाद संबंधित प्रत्यर्थी के हाथों या नियंत्रण में आई थी, ऐसे आदेशों के दायरे में आएगी या नहीं। आदेशों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, हमारे विचार में, क्या संपत्ति उस तारीख को संबंधित उत्तरदाताओं के हाथों में थी जब उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध के आदेश पारित किए गए थे या बाद में उनके हाथों में या उनके नियंत्रण में आई थी, ऐसी योग्यता की परवाह किए बिना सभी संपत्तियां, चाहे वे चल हों या अचल, प्रतिबंध के आदेशों द्वारा शासित थीं। किसी भी प्रकार की कोई अस्पष्टता नहीं है और संयम के आदेश काफी स्पष्ट हैं। नतीजतन, 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जो प्रतिवादी संख्या 3 के नियंत्रण में और उसके हाथों में आई थी, पूरी तरह से प्रतिबंध के उक्त आदेशों द्वारा कवर और नियंत्रित की गई थी।

23. 2013 के उक्त ओ. ए. संख्या. 766 में प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा दायर दिनांकित 28.06.2016 ज्ञापन संलग्न है, "25.02.2016 पर प्रतिवादी संख्या 3 को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यू. एस. डॉलर) के भुगतान की पुष्टि करें।" इस प्रकार यह किसी भी संदेह से परे है कि 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा 25.02.2016 पर प्राप्त किया गया था। इन तथ्यों को प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अपने "आगे जवाबी हलफनामे" के पैराग्राफ 3 में स्वीकार किया गया है। यह स्पष्टीकरण कि धन अब उन न्यासों के पक्ष में हस्तांतरित किया गया है जिन पर प्रत्यर्थी संख्या 3 का कोई नियंत्रण नहीं है, वास्तव में उल्लंघन की सीमा को बढ़ाता है।

यह स्पष्ट है कि जो धन प्रत्यर्थी संख्या 3 के नियंत्रण में था, उसे अब अदालत की प्रक्रियाओं की पहुंच से बाहर रखने की मांग की गई है, जो इरादे को दर्शाता है।

24. याचिकाकर्ता-बैंकों द्वारा 02.03.2016 पर दायर किए गए आवेदनों में स्वयं इस तथ्य का स्पष्ट संदर्भ दिया गया था कि जैसा कि प्रतिवादी संख्या 10 और 11 द्वारा लंदन स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को क्रमशः उत्तरदाता संख्या 10 द्वारा प्रकट किया गया था, प्रतिवादी संख्या 3 को 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान करेगा और तदनुसार याचिकाकर्ता-बैंकों ने प्रतिवादी संख्या 10 और 11 के खिलाफ 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर की उक्त राशि के वितरण के आदेश के लिए चार अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए थे। इसलिए उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा प्राप्त 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि वर्तमान विवाद का विषय थी। उत्तरदाता संख्या 3 से कम से कम 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्राप्ति और वितरण से संबंधित प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा करने की उम्मीद थी। इस प्रकार उस गणना का उल्लंघन न केवल इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के खिलाफ है, बल्कि विचाराधीन कार्यवाही में पारित दिनांक 03.09.2013 और 13.11.2013 के आदेशों के स्पष्ट आदेश के खिलाफ भी है।

25. इस प्रकार यह पाए जाने पर कि 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि वितरित करने में प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से की गई कार्रवाई कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के मूल पाठ और अवधि के खिलाफ थी, तब सवाल उठता है कि क्या यह न्यायालय इस तरह के उल्लंघन का संज्ञान ले सकता है या क्या उसे उचित रूप से स्थापित कानूनी कार्यवाही में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं निर्णय लेने के लिए छोड़ देना चाहिए। 26. दिल्ली न्यायिक सेवा संघ, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली बनाम गुजरात राज्य और अन्य में, एक सवाल उठा कि क्या संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत इस न्यायालय की शक्ति और अधिकार क्षेत्र केवल "इस न्यायालय की अवमानना" तक ही सीमित है। उस ओर से दिए गए प्रस्तुतिकरणों

को निर्णय के पैराग्राफ 14 में नोट किया गया था जो विद्वान अटॉर्नी जनरल के प्रस्तुतिकरण को निर्धारित करता हैः

"सर्वोच्च न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश में न्याय का रक्षक और संरक्षक है, इसलिए, उसे उन न्यायालयों की रक्षा करने का अधिकार और कर्तव्य भी है जिनके आदेश और निर्णय उनके खिलाफ अवमानना करने से सुधार के लिए उत्तरदायी हैं। निर्णय के बाद के पैराग्राफ अर्थात् पैराग्राफ 26 से पता चलता है कि विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा इस तरह से प्रस्तुत दलीलों को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। यह सच है कि चर्चा अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में हुई थी। हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति पर इस पृष्ठभूमि में विचार किया गया था कि इस न्यायालय के पास देश के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर सर्वोच्च, अपीलीय अधिकार क्षेत्र है जो निर्णय के पैराग्राफ 31 में टिप्पणियों से स्पष्ट है। हमें यह कहना चाहिए कि श्री वैद्यनाथन ने इसके विपरीत गंभीरता से प्रतिवाद नहीं किया, लेकिन उनका निवेदन था कि यदि इस न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र को इस प्रकार ग्रहण किया जाता है और संज्ञान लिया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 3 उच्च न्यायालय के स्तर पर मामले का मूल्यांकन करने का एक अवसर स्वीकार करेगा। हमारे सुविचारित विचार में, चूंकि हम उसी कारण पर विचार कर रहे हैं जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध के आदेश पारित किए गए थे और चूंकि यह इस न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मामले पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।

27. रिकॉर्ड से पता चलता है कि कर्नाटक के उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिबंध के लिए उन आदेशों के उल्लंघन के दिनांकित आदेश पर इस न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया था और प्रतिवादी की ओर से पेश वकील ने उचित जवाब दाखिल

करने के लिए समय मांगा था। हालांकि, इस तरह का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 3 को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिबंधों के उन आदेशों के उल्लंघन के बारे में स्पष्ट सूचना दी गई। इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 3 पर कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया है या उस पर विचार नहीं किया गया है।

28. हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 3 के खिलाफ अवमानना करने के आरोप दो मामलों में हैं, जिसमें-

क) वह इस अदालत द्वारा पारित आदेशों की अवज्ञा करने का दोषी है, जिसमें संपत्ति के पूर्ण विवरण का खुलासा नहीं किया गया है जैसा कि इस अदालत द्वारा निर्देशित किया गया था।

ख) वह उसी कारण से कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिबंध के स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन करने का दोषी है जिससे वर्तमान कार्यवाही उत्पन्न हुई है। यद्यपि दूसरी गणना पर अवमानना सैद्धांतिक रूप से कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की है क्योंकि वे आदेश उसी कारण से संबंधित हैं और प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उस खाते का खुलासा नहीं करने में कार्रवाई जिसके माध्यम से हस्तांतरण प्रभावित हुए थे, पहली गणना पर भी अवमानना के संबंध में आती है, हम दूसरी गणना के संबंध में भी अपनी अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना जारी रखते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रत्यर्थी संख्या 3 को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखा गया था और इस न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र की ऐसी धारणा के परिणामस्वरूप कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं हुआ है।

29. पूरे मामले पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि प्रतिवादी संख्या 3 दोनों मामलों में अदालत की अवमानना करने का दोषी है। इस स्तर पर यह कहा जाना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही को विनियमित करने के

नियमों के नियम 6 (1) के संदर्भ में, प्रतिवादी संख्या 3 इस न्यायालय द्वारा अवमानना याचिका में जारी किए गए नोटिस के जवाब में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य और कर्तव्यबद्ध था। इसके बजाय, उन्होंने नोटिस जारी करने के आदेशों को वापस लेने के लिए आवेदन दायर करने का फैसला किया।

इस मामले पर विचार करने के बाद, हम उस आदेश को वापस लेने और 2016 की अवमानना याचिका सिविल संख्या 421-424 में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा 2016 की आई. ए. संख्या 1 से 4 को खारिज करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 3 वर्तमान अवमानना कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

30. चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अवमानना याचिका का कोई जवाब दायर नहीं किया है और न ही वह व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ है, हालांकि हमने उसे अदालत की अवमानना करने का दोषी पाया है, हम उसे एक और अवसर देना और प्रस्तावित सजा पर उसे सुनना भी आवश्यक समझते हैं। इसलिए हम इस मुद्दे पर प्रतिवादी संख्या 3 की व्यक्तिगत सुनवाई के लिए मामले को 10.07.2017 तक स्थगित कर देते हैं, जिसमें अवमानना के लिए उसे दी जाने वाली प्रस्तावित सजा भी शामिल है। तत्काल अवमानना याचिकाओं और संबंधित मामलों को अब 10.07.2017 को 2 बजे सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रत्यर्थी संख्या 3 कम करने वाली परिस्थितियों, यदि कोई हो और कोई अन्य प्रस्तुतियाँ जो वह आगे बढ़ाने के लिए चुनता है, को बताकर उसी दिन निविदा के लिए अपना शपथ पत्र तैयार रख सकता है।

31. हम गृह मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली को निर्देश देते हैं कि दिनांक 10.07.2017 को इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 3 की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन के लिए गृह मंत्रालय को भेजी जाए।

मामला स्थगित कर दिया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।